संख्या-970/2018/1246/22-2-2018-17(49)/2017

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 दिसम्बर , 2018***

विषय: केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सतेन्द्र उर्फ बब्लू पुत्र ओमसिंह जाट, निवासी जनपद-गाजियाबाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25473/प्रोबे0अनु0-(2)-199/ /सला0समिति/(एम0 09- 07-2018) दिनांक-17-07-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सतेन्द्र उर्फ बब्लू पुत्र श्री ओमसिंह जाट, निवासी- घेघा, थाना-मुरादनगर, जनपद-गाजियाबाद का निवासी है। दिनांक 12.01.2002 को मृतक राम भरोसे अपने दोस्त बंदी सतेन्द्र उर्फ बब्लू के साथ मारूती वैन से श्रीमती मीना से मिलने उसके घर गये, जहां रात 09:00 बजे तक रहे। उसके बाद दोनों मारूती वैन सहित लापता हो गये। चालीस हजार रूपये के लेन-देन के लिए बंदी सतेन्द्र उर्फ बब्लू ने दिनांक 15.01.2002 को राम भरोसे की हत्या करना स्वीकार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-528/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 364/34 व 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-8, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 28.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया । बन्दी द्वारा दिनांक 04.04.2018 तक 16 वर्ष 02 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 10 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि बंदी जेल से छूटने पर पर पुन: अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, बंदी की अपराधी प्रवृत्ति को देखते हुए जेल में रखा जाना उचित है, की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की सस्तुति नहीं की है। प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-8, गाजियाबाद से प्राप्त अभिमत दिनांक 07-02-2018 में अवगत कराया है कि वर्तमान स्तर पर दोषसिद्ध बंदी के नामिनल रोल के बारे में अभिमत दिया जाना संभव नहीं है। यदि दोषसिद्ध बंदी जेल मैनुअल कारागार के नियमों तथा राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली किसी नीति के अंतर्गत यदि लाभ पाने की अर्हता रखता है तो इस न्यायालय को उस पर कोई आपत्ति नहीं है। सलाहकार समिति द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि बंदी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की आयु 43 वर्ष लगभग है। बंदी के जेल से छूटने पर पुनः अपराध कारित करने, अपराधी प्रवृत्ति का होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व मुक्ति हेतु अस्पष्ट अभिमत दिये जाने तथा बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता आदि के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सतेन्द्र उर्फ बब्लू पुत्र श्री ओमसिंह जाट को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी सतेन्द्र उर्फ बब्लू (बंदी सं0-12809) पुत्र श्री ओमसिंह जाट, निवासी जनपद-गाजियाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-970/2018/1246(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।